पत्रांक–जी/नि0सु0अ0–14–35/2016../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव–सह–नियंत्री प्राधिकारी

सेवा में,

श्री रमेश कुमार सिंह,
पिताः–स्व0 नन्ददेव सिंह,
ग्रा0–रूनियाँ, पो0–बेरी,
थाना– सलैया,
जिला– औरंगाबाद, पिन–824218

<u>स्पीड पोस्ट</u>

पटना, दिनांक–.............अप्रैल, 2017

विषयः– **बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में Ritika Security Force निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु अनुज्ञप्ति के निमित्त समर्पित आपके आवेदन दिनांक–16.03.2016 की अस्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन समर्पित किया गया। निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा–7 (4) एवं बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया।

पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद ने अपने पत्रांक–1727/गो0 दिनांक–01.06.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके पास कार्यालय तथा प्रशिक्षण हेतु उपकरण एवं सुविधाएँ उपलब्ध नहीं पाये गये हैं तथा इस आधार पर उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना उचित नहीं माना है।

तदालोक में विभागीय पत्रांक–6028 दिनांक–22.06.2016 द्वारा अधिनियम की धारा–7(4) (a) में निहित प्रावधान के तहत् आपसे कारण पृच्छा की गयी कि आपके पास कार्यालय तथा प्रशिक्षण हेतु उपकरण एवं सुविधाएँ उपलब्ध नहीं पाए जाने तथा समुचित प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण क्यों नहीं अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाए ?

प्रदत्त अवधि समाप्त होने तथा विभागीय पत्रांक–9007 दिनांक–22.09.2016 के माध्यम से स्मारित किए जाने के उपरान्त भी उक्त वांछित स्पष्टीकरण अब तक अप्राप्त है। अतः यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा आपके पास कार्यालय एवं प्रशिक्षण हेतु सुविधा न होने तथा पुलिस अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र न मिलने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक–16.03.2016 **अस्वीकृत** किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांक :–.. **पटना, दिनांक................अप्रैल, 2017**

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यदि विषयांकित अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना व्यवसाय किया जा रहा हो, तो जाँचोपरान्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांकः–3294**.......** **पटना,दिनांक–**21**.......अप्रैल,2017**

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 20.04.17

सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकार

215 D/Y/Security Agency/Draft